



2026:AHC:127863

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20066/2026

मोहम्मद अरबाज़

.....आवेदनकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदनकर्ता की ओर से अधिवक्ता : अनिल कुमार, कल्प देव मिश्रा

विपक्ष पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक को वाद अपराध संख्या 309/2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3, थाना हरिपर्वत, जनपद आगरा में जमानत पर मुक्त किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से अभियुक्त बनाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि गिरोह सारणी में आवेदक के विरुद्ध दो प्रकरण अंकित किए गए हैं तथा उन सभी प्रकरणों में आवेदक जमानत पर है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण तथा गिरोह सारणी में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लिखित दो आधार प्रकरणों के अतिरिक्त आवेदक ने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त का स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के अनुच्छेद संख्या 8 में दिया है।

4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत प्रथम सूचना प्रतिवेदन में आवेदक के विरुद्ध लोक व्यवस्था भंग करने अथवा अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक अथवा इसी प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करने संबंधी आरोप अस्पष्ट एवं सामान्य प्रकृति के हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित "गिरोह" तथा "गिरोहबन्द" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी कृत्य अथवा लोप के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप न होने की स्थिति में प्रथम सूचना प्रतिवेदन विधि-सम्मत नहीं माना जा सकता। वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना प्रतिवेदन लंबित आपराधिक प्रकरणों के आधार पर पंजीकृत किया गया है, न कि किसी नवीन आरोप अथवा ऐसे नवीन तथ्य के अनावरण के आधार पर, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो और जिसके निवारण के उद्देश्य से उक्त अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

5. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग प्रतिशोध लेने, नागरिकों का उत्पीड़न अथवा भयभीत करने या राजनीतिक अथवा अन्य किसी कारण से व्यक्तिगत वैमनस्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता।

6. उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद प्रशासन द्वारा अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करने अथवा शासन अथवा सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से प्रशंसा अथवा सराहना प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

7. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि आवेदक गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम के अधीन आरोपित अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर मुक्त किए जाने की स्थिति में वह कोई अपराध कारित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जमानत पर मुक्त होने के उपरांत आवेदक न तो कोई अपराध करेगा और न ही किसी प्रकार से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा अथवा अभियोजन पक्ष के साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 09.02.2025 से इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा ऐसी कोई आशंका नहीं है कि जमानत का लाभ प्रदान किए जाने पर वह विधिक प्रक्रिया से पलायन करेगा अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। साथ ही, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री इतनी सुदृढ़ नहीं है कि उसके आधार पर यह उपधारणा की जा सके कि आवेदक गिरोह सारणी में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।

9. इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत पर मुक्त किए जाने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो वह जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

10. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि गिरोह सारणी में उल्लिखित प्रकरणों में आवेदक जमानत पर है। तथापि, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है तथा अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो उसके द्वारा पुनः इसी प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने तथा अभियोजन पक्ष के साक्षियों को धमकी देकर अथवा भयभीत करके जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11.उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नवत् है:-

“(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, तो उसे जमानत पर अथवा उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

(ए) लोक अभियोजक को ऐसी मुक्ति के लिए प्रस्तुत प्रार्थना का विरोध करने का अवसर न प्रदान किया गया हो; तथा

(बी) जहाँ लोक अभियोजक द्वारा ऐसी प्रार्थना का विरोध किया गया हो, वहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर मुक्त किए जाने की दशा में उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।”

12. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री, गिरोह सारणी में उल्लिखित अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त-आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त पर विचार किया है।

13. भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एस.सी.सी. 713 में यह प्रतिपादित किया गया है कि अनेक निर्णयों में यह घोषित किया जा चुका है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता के संरक्षण के अंतर्गत केवल विधिसम्मत प्रक्रिया एवं निष्पक्षता ही नहीं, बल्कि न्याय तक पहुँच तथा शीघ्र विचारण का अधिकार भी सम्मिलित है। विचारणाधीन बंदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति बनाम भारत संघ में यह प्रतिपादित किया गया कि विचारणाधीन बंदियों को विचारण लंबित रहने के दौरान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनिश्चितकाल तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। आदर्शतः किसी भी व्यक्ति को उसके किसी कृत्य के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भुगतने चाहिए, जब तक कि किसी निष्पक्ष निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उसका दोष स्थापित न हो जाए। तथापि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में, जहाँ प्रभावी विचारण सुनिश्चित करने तथा विचारण लंबित रहने के दौरान संभावित अपराधी के मुक्त रहने से समाज को उत्पन्न होने वाले जोखिम को न्यून करने की आवश्यकता होती है, वहाँ न्यायालयों का यह दायित्व होता है कि वे यह निर्णय करें कि किसी व्यक्ति को विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किया जाना चाहिए अथवा नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि समयबद्ध विचारण संभव नहीं है तथा अभियुक्त पर्याप्त अवधि तक निरुद्ध रह चुका है, तब सामान्यतः न्यायालयों का दायित्व होगा कि उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

14. उपर्युक्त वर्णित पक्षकारों की दलीलों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक संरक्षण तथा दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 3 एस.सी.सी. 22 तथा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 5191/2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को दृष्टिगत रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई मत व्यक्त किए बिना, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

15. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक- मोहम्मद अरबाज़ को उसके द्वारा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभुओं के बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त किया जाए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक इस आशय का एक अभिवचन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह स्थगन की कोई प्रार्थना प्रस्तुत नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय को यह मानने का अधिकार होगा कि जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है तथा वह विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित कर सकेगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि पर्याप्त कारण के अभाव में वह अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए अथवा भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए अथवा भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा- (1) वाद के प्रारम्भ के समय, (2) आरोप विरचित किए जाने के समय तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना पाई जाती है, तो विचारण न्यायालय ऐसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उल्लंघन को जमानत द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

16. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत निर्मित करने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

आदेश दिनांक :- 17/06/2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।